

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 140 / 2025

तारीख रजू :- 23/6/2025

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई०डी० नम्बर 2025 / 320

उनवान

झम्मन पुत्र उंकारया जाति माली निवासी होरी वालों का पुरा सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज०

—वादीगण—02

बनाम

हंसा पुत्र मलखान जाति माली निवासी होरी वालो का पुरा सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—22

दिनांक	फर्द अहकाम
23/6/2025	<p>यह दावा वादीगण की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
24 ⁰⁷ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी युनाव V.C करौली राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 09/12/25 को पेश है।</p>
9 ¹² / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर श्री वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु.नं. 140/2025 उनवान झम्मन बनाम हंसा दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रोकड बार तकनीक सं. से कम की जाण्ड दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>